राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक–प. 5(11)गृह–1/2014 (28051) जयपुर, दिनांक : हस्ताक्षरित दिनांक

आदेश

राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला की वर्ष 2014–15 की दिनांक 15.11.2014 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के समय श्री कैलाश चन्द मीणा पुत्र श्री श्रीनारायण के विरूद्व एसबी प्रकरण संख्या 319/2007 मा0 न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण इनकी पदोन्नति अभिशंषा को सील्ड कवर में रखा गया।

माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर ने प्रकरण संख्या 113/2014 (27/10) (एफआईआर नं. 319/2007) सरकार बनाम कैलाश चन्द मीणा व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 06–02–2025 द्वारा अभियुक्तगण श्री कैलाश चन्द मीणा पुत्र श्री श्रीनारायण मीणा, तत्कालीन पुलिस निरीक्षक को अपराध अन्तर्गत धारा 07,13 (1) (डी) 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 120बीं भादस में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किय गया है। उक्त निर्णय दिनांक 06–02–2025 के विरूद्ध विधि विभाग के पत्र दिनांक 06–10–2025 द्वारा नो अपील का निर्णय लिया गया है।

राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला की वर्ष 2014–15 की दिनांक 15.11.2014 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा सील्ड कवर में किये गये श्री कैलाश चन्द मीणा की अभिशंषा के बन्द लिफाफे को खोला गया।

विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के अनुसार श्री कैलाश चन्द मीणा को राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2014–15 में एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है। श्री मीणा की वरिष्ठता श्री श्योराज मल/जनसी लाल मीणा (एसटी) के नीचे तथा श्री श्यामलाल/राम प्रताप (एसटी) के ऊपर निर्धारित की जाती है।

यह पदोन्नति माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन है। श्री कैलाश चन्द मीणा, आरपीएस अग्रिम आदेशो तक वर्तमान पद पर ही यथावत कार्य करते रहेंगे तथा इनको कार्यग्रहण की दिनांक तक नोशनल आधार पर एवं कार्यग्रहण तिथि से वास्तविक रूप से वेतन लाभ देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रत्नेश कुमार शर्मा)
वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयुपर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव, गृह।
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप–6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस

संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, 1112 प्रथम तल, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर
0141-2227294, IP 2820457/Ext.-22325, 22324, e-mail home.police@rajasthan.gov.in

RajKaj Ref No.:
19833393
eSign 1.0

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratnesh Kumar Sharma
Designation : Senior Deputy Secretary
Date: 2026.01.09 10:12:44 IST
Reason: Approved